रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2016/भाद्र 17, 1938
No. 343] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2016/ BHADRA 17, 1938

indiacode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016

सं. पी एफ आर डी ए/12/आरजीएल/139/9.—पेंशननिधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप–धारा (2) के उप–खंडों (ङ) (ड), (ढ़), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामत :

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016' है।
2. ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में

 (I) विनियम 4 के उप–विनियम (1) में शब्द 'अनुसूची–2' को शब्द' अनुसूची–3' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

 (II) विनियम 20 के उप–विनियम (3) (4) और (5) को निरस्त माना जाएगा।

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./230]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 की अधिसूचना संख्या पी एफ आर डीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड 4 में 19 मई 2015 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2016

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016

No.PFRDA/12/RGL/139/9.— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 52 read with sub-clause(e),(m),(n),(o),and (p) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely,-

1. These regulations may be called the "Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016".
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015:-

 (I) In sub-regulation (1) of Regulation 4, in place of the word "Schedule II", "Schedule III" shall be substituted.

 (II) In regulation 20, sub-regulation (3)(4) and (5) shall stand omitted.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./230]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on May 19, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.09.15 12:50:14 +05'30'